न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर, राज0
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
202 / 2025	26 / 06 / 2025	07 / 01 / 2026

1. श्रवण पुत्र नानगा जाति मीणा निवासी ग्राम खेडावासनेवर तहसील आंधी जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. रामफूल पुत्र काना जाति मीणा निवासी ग्राम खेडावासनेवर तहसील आंधी, जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आंधी, तहसील आंधी, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभावक
श्री रामकरण शर्मा :– वकील वादी।
श्री महेश शर्मा :– वकील प्रतिवादी सं0 1

दावा बाबत बटंवारा, स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा–53, 188 आर0टी0एक्ट

–: निर्णय :–

वादी की ओर से एड0 श्री रामकरण शर्मा ने यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण इस कथन के साथ पेश किया कि वादग्रस्त भूमि खाता सं0 86 के खसरा नम्बर 538/233 रकबा 1.0116है0 स्थित ग्राम खेडावास नेवर, पटवार हल्का नेवर, तहसील आंधी, जिला जयपुर में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार सहखातेदार है। जिसे आगे उक्त वादपत्र में वादग्रस्त सम्पत्ति कहा गया है। जिसका विधिक तकासमा नही कराया गया है। अतः उक्त वर्णित वादग्रस्त सम्पत्ति का सरस–नरस के अनुसार हक व हिस्से तथा कब्जे एवं रास्ते को मध्य नजर रखते हुये तकासमा कर वादी का राजस्व रिकार्ड व लगान अलग अलग कायम किया जावें। प्रकरण में विधिवत सुनवाई करते हुए दिनांक 29.09.2025 को प्राथमिक डिक्री किया गया। जिसकी पालना में तहसीलदार आंधी ने कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर पेश की। प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर वकील उभय पक्षों की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील उभय पक्षों ने प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति दी।

पत्रावली का अद्योपान अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार आंधी के द्वारा प्रस्तुत बटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार आंधी ने बटवारा हिस्से अनुसार किया। अतः वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम खेडावास नेवर, पटवार हल्का नेवर, तहसील आंधी, जिला जयपुर में स्थित निम्नांकित आराजियात का तकासमा किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मुताबिक बटवारा रिपोर्ट के निम्नानुसार विभाजन किया जाता है। उसी मुताबिक इन्हे खातेदार तन्हा घोषित किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

—: वर्तमान जमाबन्दी अनुसार :—

खाता संख्या	वर्तमान जमाबन्दी अनुसार	आराजी नम्बर	रकबा है0	किस्म	लगान
86	रामफूल पुत्र काना हि0 1/2 जाति मीना सा0देह खातेदार राहिन हि0 1/2 पूर्ण खाता स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा जमवारामगढ, श्रवण पुत्र नानगा हि0 1/2 जाति मीना सा0देह खातेदार राहिन हि0 1/2 पूर्ण खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा बस्सी।	538/233	1.0116	बारानी 3	—
	योग	किता 1	1.0116	—	—

—: प्रस्तावित :—

क्र0 सं0	प्रस्तावित	आराजी नम्बर	है0	किस्म	लगान
1	रामफूल पुत्र काना जाति मीना सा0देह खातेदार राहिन बदस्तुर जमा0	538/233/1	0.5058	बारानी 3	—
	योग	किता 1	0.5058	—	—
2	श्रवण पुत्र नानगा हि0 1/2 जाति मीना सा0देह खातेदार राहिन बस्तुदर जमा0	538/233/2	0.5058	बारानी 3	—
	योग	किता 1	0.5058	—	—

उपरोक्त विभाजन अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अलग–अलग खाते दर्ज अंकित की जावे, साथ ही वादी एवं प्रतिवादीगण को हुक्म इक्तिनाइ दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वादी एवं प्रातिवादीगण के हिस्से मे आई आराजीयात में किसी प्रकार से कब्जे में दखल अंदाजी नहीं करें। नक्शा ट्रेस प्रमाणित किया गया। अन्तिम पर्चा डिक्री जारी है।

निर्णय आज दिनांक 07/01/2026 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकदमा इब्ताई

(रूल्स 18–21)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला जयपुर

श्रवण बनाम रामफूल वगै0

वाद अन्तर्गत धारा–53, 188 बटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा रा0टी0एक्ट

मुकदमा नम्बर – 202/2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री ललित मीना बहाजिरी श्री रामकरण शर्मा अधिवक्ता वादी व श्री महेश शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 1 पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाता है कि ग्राम खेडावास नेवर, पटवार हल्का नेवर, तहसील आंधी, जिला जयपुर में स्थित निम्नांकित आराजियात खसरा का तकासमा किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मुताबिक बटवारा रिपोर्ट के निम्नानुसार विभाजन किया जाता है। उसी मुताबिक इन्हे खातेदार तन्हा घोषित किया जाता है।

–: वर्तमान जमाबन्दी अनुसार :–

ता ख्या	वर्तमान जमाबन्दी अनुसार	आराजी नम्बर	रकबा है0	किस्म	लगान
6	रामफूल पुत्र काना हि0 1/2 जाति मीना सा0देह खातेदार राहिन हि0 1/2 पूर्ण खाता स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा जमवारामगढ़, श्रवण पुत्र नानगा हि0 1/2 जाति मीना सा0देह खातेदार राहिन हि0 1/2 पूर्ण खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा बस्सी।	538/233	1.0116	बारानी 3	–
	योग	किता 1	1.0116	–	–

–: प्रस्तावित :–

सं0	प्रस्तावित	आराजी नम्बर	है0	किस्म	लगान
	रामफूल पुत्र काना जाति मीना सा0देह खातेदार राहिन बदस्तुर जमा0	538/233/1	0.5058	बारानी 3	–
	योग	किता 1	0.5058	–	–
	श्रवण पुत्र नानगा हि0 1/2 जाति मीना सा0देह खातेदार राहिन बस्तुदर जमा0	538/233/2	0.5058	बारानी 3	–
	योग	किता 1	0.5058	–	–

उपरोक्त विभाजन अनुसार वर्तमान रेवन्यू रिकार्ड में अलग–अलग खाते दर्ज अंकित की जावे, साथ ही वादी एवं प्रतिवादीगण को हुक्म इकितनाइ दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के हिस्से मे आई आराजीयात में किसी प्रकार से कब्जे में दखल अंदाजी नही करें। नक्शा ट्रेस प्रमाणित किया गया।

मेरे दस्तखत एवं मोहर से पर्चा डिक्री आज दिनांक 07/01/2026 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दे	रुपये	पैसे	मुद्दालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजूह सबुत			स्टाम्प वजूह सबुत		
महनतानावकील			महनतानावकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बक्तहजराव हुक्मनामा			बक्तहजराव हुक्मनामा		
मुतफ			मुतफ		
मिलान			मिलान		

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला जयपुर

डिक्री मुकदमा इबलाई (रूल्स 18-21)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर राज0
बइजलास श्री ललित मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नं0:- 202/2025 दायर दिनांक 26.06.2025

श्रवण बनाम रामफूल वगै0

(अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम)

प्राथमिक डिक्री आदेश दिनांक 29.09.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री ललित मीना आर.ए.एस. व हाजिर श्री रामकरण शर्मा वकील वादी एवं श्री महेश शर्मा वकील प्रतिवादीगण निजातिब मुदालय रूबरू बहाजीरी पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार आंधी को आदेशित किया जाता है कि ग्राम खेड़ावास नेवर, पटवार हल्का नेवर, तहसील आंधी, जिला जयपुर में स्थित भूमि खाता सं0 86 के खसरा नम्बर 538/233 रकबा 1.0116है0 के संबंध में उभय पक्षों के राजस्व रिकार्ड में अंकित हक व हिस्से तथा कब्जे एवं रास्ते को मध्य नजर रखते हुए मुताबिक बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस अर्थात सरस-नरस के आधार पर विधिक रूप से तकासमा हेतु निर्णय किया जाता है तथा वाद को प्राथमिक डिक्री किया जाता है। वादीगण एवं प्रतिवादीगणों के मध्य दोनों पक्षों को सूचित करते हुये उनकी मौजूदगी में अलग-अलग रंग भरकर कुर्रेजात के प्रस्ताव तीन-तीन प्रतियों में तैयार कर पेश करें। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करेगें।

डिक्री आज दिनांक 29/09/2025 को कार्यालय की मोहर से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ, जयपुर

मिलान स्टाप अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रूपये	पैसे	मुदई	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प वजूह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवहान			खर्चा गवहान		
बबतहजराय हुक्मनामा			बबतहजराय हुक्मनामा		
मुत			मुत		

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ, जयपुर

Scanned with OKEN Scanner